न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 114/18 GCMS NO 2018/00028

मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायण वाके ग्राम सरंग तहसील व जिला सवाई माधोपुर जरिये
जनता सुरंग।

1. घोलीलाल पुत्र हरनारायण
2. रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल
3. रामलाल पुत्र बदरी
4. प्रहलाद पुत्र हीरालाल
5. कालूजी पुत्र हरिनारायण
6. हरकेश पुत्र प्रहलाद
7. देवपाल पुत्र हरनारायण
8. देवलाल पुत्र नाथूलाल
9. कमल पुत्र बालू
10. दयाल पुत्र गोपी
11. विलास पुत्र मटठू
12. मीठालाल पुत्र हंसराज
13. बाबू पुत्र श्रीचंद

अवकाम जातियान गुजरान निवासीयान ग्राम सुरंग तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र हरिवल्लभ
2. रूकमणी बेवा हरिवल्लभ
3. दिनेश पुत्र हरिवल्लभ
4. जगदीश पुत्र शांतिलाल
5. सत्यनारायण पुत्र शांतिलाल

अवकाम जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम लोरवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

6. मकसूद खांन पुत्र बाज खां जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 87/2016 निर्णय दिनांक 11.10.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 1 ता 5 कोई उपस्थित नही
रेस्पो0 संख्या 6 की और से श्री एस.एस.गुप्ता

दिनांक 16.12.2024

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.10.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांट ने द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि मंदिर मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी की माफी मंदिर की भूमि साबिक ख0न0 69 रकबा 6 बीघा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के आने से पहले ही सम्वत 1988 की मिसल हकीयत बंदोबस्त मोजा सुरंग के खाता संख्या 7 मे दर्ज है। कालांतर मे उक्त भूमि ख0न0 69 का संटलमेंट ने सम्वत 2004 से 2023 मे ख0न0 71 रकबा 6 बीघा बनाकर तत्कालीन पुजारी सुन्दर पुत्र ओकार के नाम गलत इन्द्राज कर दिया। इसके पश्चात सेटलमेंट ने सम्वत 2056 से 2075 का जो नया रिकार्ड तैयार किया उसमे साबिक ख0न0 71 रकबा 6 बीघा का नया नम्बर 190 रकबा 1.52 है0 बनाकर जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 20 प्रार्थी मंदिर मूर्ति की भूमि का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम गलत इन्द्राज कर दिया। पुजारी सुन्दर वल्द ओकार की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि ख0न0 190 अप्रार्थीगण 1 ता 5 के नाम आ गई। जिसको अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अप्रार्थी संख्या 6 को अपने हिस्से का बेचान कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के दिन सम्वत 2012 यानि 1955 प्रभाव मे आने के बाद राजस्व रिकार्ड मे मंदिर मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी के नाम दर्ज थी और कानूनन माफी मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति के नाम उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। यह राजस्व विधि मे वाधित है। क्योकि मंदिर मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी शास्वत नाबालिंग है और उनकी सेवा पुजा संरक्षक पुजारी द्वारा की जाती है। माफी की जमीन की उपज मंदिर मूर्ति के राजभोग मंदिर का अन्य खर्चा व्यवस्था चलाती है यदि किसी का नाम गलत काश्त दर्ज हुआ तो उसका कानूनन कोई महत्व नही है। इन्द्राज शून्य है। उस भूमि पर पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति को कोई सबटीनेन्ट खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। कानूनन किसी भी प्राईवेट व्यक्ति, काश्तकार अथवा पुजारी को या अन्य काश्त करने वाले को भी मंदिर मूर्ति की भूमि मे खातेदारी स्वामित्व प्राप्त नही होते है। गलत विवेचन करते हुए इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम किया गया है वह राजस्व विधि व कानून के विपरीत है। तथाकथित इन्द्राज जो पुजारी सुन्दर वल्द ओकार विराजमान के नाम दर्ज किया गया है वह भी मूलतः है तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 मोहनलाल वगै0 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के नाम विक्रय किया है वह भी मूलतः गलत व अवैध है। क्योकि माफी मंदिर की भूमि किसी को भी हस्तान्तरण मूलत अवैध व शून्य है। जो शून्य किये जाने योग्य है। मंदिर की भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम पुजारी होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 6 के नाम विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज किया जाना सरासर विधि विरूद्व है। मंदिर मूर्ति की भूमि का इन्द्राज पूर्ववत किया जाना अपेक्षित व आवश्यक है। अप्रार्थीगण भूमि को अपने नाम होने की वजह से भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है [illegible] कब्जा करने पर उतारू है। मंदिर की भूमि का विवाद पुजारियो से है [illegible] बेच चुके है शेष भूमि को बेचान करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थीगण को [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जावे कि आराजी ख0न0 190 रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम सुरंग मे स्थित जो माफी मंदिर मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी की है हो अप्रार्थीगण किसी दीगर व्यक्ति को विकय नही करे व किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करने के लिए पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल व खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि आराजीयात साबिक ख0न0 15 रकबा 10 बीघा 14 विस्वा, ख0न0 71 रकबा 6 बीघा के हाल नवीन ख0न0 60,61,62,63 व 190 बजमाने जयपुर स्टेट के समय से 10 साला सेटलमेंट मे माफी मंदिर लक्ष्मीनारायणजी के नाम से दर्ज मिसल हकीयत है। इसलिए कानूनन माफी मंदिर की भूमि को पुजारी कानूनन रहन बेचान ,गिरवी रखने का अधिकारी नही है। चूकि: माफी मंदिर मे विराजमान मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी शास्वत नाबालिंग रहती है और रहेगी इसलिए कानूनन शास्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर के खातेदारी भूमि का बेचान रहन वय नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र व दावा वादी दिनांक 20.12.17 को खारिज किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से कन्ट्राडक्सन पैदा हो गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अदालत मातहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर ने तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस को निरस्त कर दिया जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे प्रस्तुत कर दिनांक 25.9.18 को स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जिसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 को खातेदार काश्तकार मानकर कानूनी भूल की है। चूकि मूर्ति विराजमान ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी ग्राम सुरंग के नाम से सम्पूर्ण दस्तावेज रिकार्ड आफ राईटस होने के बाबजूद व भूमि खुदकाश्त होने के बाद भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर अहम भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे और इस अमर की जारी की जावे कि रेस्पो0 किसी प्रकार की मानेमजाहमत रहन बेचान व किसी प्रकार से नही करे ना ही हस्तान्तरण करे और ना ही किसी अन्य से कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आम जनता की हैसियत से किया गया है परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की सहमति या इजाजत नही ली गई है। विवादित आराजीयात का माफी मंदिर मूर्ति ठाकुरजी लक्ष्मीनारायणजी से कभी कोई वास्ता एवं संबध नही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं मिथ्या आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप खारिज किया गया है। आराजी ख0न0 71 रकबा 6 बीघा सुन्दर वल्द ओंकार जाति ब्राहम्ण निवासी लोरवाडा के नाम थी। जो जमाबंदी सम्वत 2004 से 2023 मे दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व ही उक्त भूमि सुन्दर वल्द ओकार के नाम लग गई एवं राजसथान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। सुन्दर के बाद उनके पुत्र हरिवल्लभ व शांतिलाल के नाम लग गई। हरिवल्लभ व शांाति लाल के स्वर्गवास के पश्चात भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम लग गई। इस तरह भूमि विगत 75 सालो से भूमि खातेदारी मे चली आ रही है। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन ख0न0 190 रकबा 1.52 है0 कायम किये है। जिसमे भी खातेदारी रिकार्ड मे उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। रेस्पो/अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 द्वारा सहखातेदारी की भूमि मे से 1/2 भाग का विकय पत्र अप्रार्थी/रेस्पो0संख्या 6 को किया गया है। जिसका पंजीयन पंजीयान कार्यालय मे दिनांक 10. 6.16 को करवा लिया है। यह रजिस्टर्ड विकय पत्र पूर्णतया बैध एवं उचित है। प्रार्थीगण/अपीलांट जाति से गुर्जर होने से गिरोहबंद व्यक्ति है जो विवादित भूमि को लठठ के जोर पर हथियान के पर आमादा हो रहे है तथा रेस्पो/अप्रार्थीगण को काश्त करने मे अडचन पैदा कर भूमि से महरूम करना चाहते है। रेस्पो0/अप्रार्थी द्वारा भूमि को कय किये जाने की दिनांक से कब्जा प्राप्त कर काश्त करता चला आ रहा है। जिसे बेदखल करने का अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही है। विवादित भूमि के बाबत तहसीलदार सवाई माधोपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र को विधि अनुरूप खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को रिकार्डेड खातेदार होने के कारण ही विधि अनुरूप अपींलाट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी ख0न0 71 रकबा 6 बीघा सुन्दर वल्द ओकार जाति ब्राहम्ण निवासी लोरवाडा के नाम थी। जो जमाबंदी सम्वत 2004 से 2023 से स्पष्ट है। सुन्दर के फौत होने के बाद सुन्दर के पुत्र हरिवल्लभ व शांतिलाल के नाम लग गई। हरिवल्लभ व शांाति लाल के स्वर्गवास के पश्चात भूमि रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम लग गई। [illegible] विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन ख0न0 190 रकबा 1.52 है0 कायम [illegible] न0 1 ता 3 द्वारा सहखातेदारी की भूमि मे से 1/2 भाग का विकय पत्र अप्रार्थी [illegible] को किया गया है। जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पंजीयन पंजीयन कार्यालय मे दिनांक 10.6.16 को करवा लिया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय के विरूद्व पेश की गई है जिसमे केवल प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ की बिवेचन किया जाना है। खातेदारी के अधिकार दावे मे तय किये जाने शेष है। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को साबित करने मे असफल रहे है। विवादित आराजीयात मे से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने हिस्से की आराजीयात अप्रार्थी संख्या 6 मकसूद खांन पुत्र बाज खां निवासी सूरवाल के नाम रजिस्टर्ड बयनामा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होने से ही प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे भी दौराने बहस अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होने के बाबत किसी प्रकार का कोई कथन नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन एवं खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के मु0नं0 87/2016 निर्णय दिनांक 11.10.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner